

बस चालकों/कैब चालकों (मंजूरी प्राप्त सार्वजनिक परिवहन) के लिए

- प्रत्येक ट्रिप के उपरांत अपने वाहन का सैनिटाइजेशन /कीटाणुनाशन करें ।
- किसी को भी अपने करीब बैठने की अनुमति न दें।
- अधिकृत कैब चालक किसी भी यात्री को सामने की सीट पर बैठने की अनुमति न दें।
- वाहन में सवार होने से पहले एवं उसके उपरांत यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करें ।
- चालक/खलासी अगर यात्रियों के लिए दरवाजा खोलते हैं अथवा उनके सामानों को उठाते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए।
- मार्ग में पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।
- निर्धारित गंतव्य के अलावा अन्य किसी भी जगह अथवा बाजार में वाहन न रोकें ।
- ड्राइवर/खलासी दिन की समाप्ति पर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं/स्नान करें तथा अपने कपड़े धो लें।